विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वीरवार, 19 अक्टूबर, 2023 / 27 आश्विन, 1945 (शक)

संख्या–125

सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष को संबोधित निम्नलिखित संदेश दिनांक 13.10.2023 को पुलिस उपायुक्त, केन्द्रीय जिला, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है:–

''मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि मैंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65(i) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अखिलेश पति त्रिपाठी (मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र, नई दिल्ली के वर्तमान विधायक), श्री रोहित मेहरौलिया (त्रिलोकपुरी विधान सभा क्षेत्र, नई दिल्ली के वर्तमान विधायक) और श्री सरदार जरनैल सिंह (तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र, नई दिल्ली के वर्तमान विधायक) को निर्देश देना अपना कर्त्तव्य पाया है जब वे दिनांक 04.10.2023 को श्री संजय सिंह, संसद सदस्य (राज्यसभा) की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के स्वंय सेवकों के साथ आप मुख्यालय, डीडीयू मार्ग से भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को धक्का देने की भी कोशिश की।

दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और भाजपा मुख्यालय, दिल्ली के आसपास कानून और व्यवस्था बनाए रखने और यातायात के विनियमन के लिए, उपरोक्त विधायकों को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65(i) के प्रावधानों के अनुसार खुद को हटाने के लिए उचित निर्देश दिए गए थे, किन्तु संबंधित थानेदारों के निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा उन्होंने विरोध किया। एकत्रित जनसमूह को सूचित किया गया और चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने हटने से इंकार कर दिया। इसलिए उपरोक्त सभी विधायकों और उनके समर्थकों को 05.10.2023 को हिरासत में लिया गया और आई.पी.एस्टेट पुलिस स्टेशन भेजा गया और बाद में रिहा किया गया। उन्हें दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65(ii) के अंतर्गत जीडी नं. 0065ए के तहत उनके 03 नगर पाषदों एवं 25 स्वयंसेवकों के साथ डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली से हटा दिया गया था।''

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday, 19 October, 2023/27 Aashwin, 1945 (Shaka)

No.125

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

Hon'ble Members are hereby informed that following message, addressed to Hon'ble Speaker has been received on 13.10.2023 from Deputy Commissioner of Police, Central District, New Delhi :-

"I have the honor to inform you that I have found it my duty in the exercise of powers conferred under section 65(i) of The Delhi Police Act, 1978 to direct the MLAs Sh. Akhilesh Pati Tripathi (sitting MLA Model Town Constituency, New Delhi), Sh. Rohit Mehraulia (sitting MLA Trilokpuri Constituency, New Delhi) and Sh. Sardar Jarnail Singh (sitting MLA Tilak Nagar Constituency, New Delhi), alongwith volunteers of Aam Aadmi Party while they were trying to move from AAP Headquarter, DDU Marg towards BJP Headquarter, respectively and even tried to push the barricades placed for maintaining law & order during the protest organized by Aam Aadmi Party against the arrest of Sh. Sanjay Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha), on 04.10.2023.

In order to maintain law & order and regulation of traffic at Deen Dayal Updhaya Marg and around the BJP Headquarter, Delhi, the above mentioned MLAs were given reasonable directions to remove themselves as per the provisions of Section 65(i) of The Delhi Police Act, 1978 but instead of following the directions of SHOs concerned they resisted. The gathering was informed and warned but they refused to disperse. As such all the above mentioned MLAs and their supporters had to be detained on 05.10.2023 and sent to Police Station IP Estate and subsequently released. They were removed from DDU Marg, New Delhi vide GD No. 0065A u/s 65 (ii) of The Delhi Police Act, 1978 along with their 03 Municipal Councillors & 25 volunteers."

Raj Kumar
Secretary